रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02082024-255996
SG-DL-E-02082024-255996

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2024/श्रावण 10, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 136
No. 203]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2024/SHRAVANA 10, 1946	[N. C. T. D. No. 136

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

फा. सं. 5/6/2023/वि./स्था./पंजी./आरआर/929.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59 एमआईएम (एच) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा पंजीयक सहकारी समितियां विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **''डिस्पैच राइडर''** के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**—(i) इन नियमों को पंजीयक सहकारी समितियां विभाग ''**डिस्पैच राइडर**'' भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली भाासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादिः**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यताः**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

भार्त यह है कि यदि सरकार संतुश्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्तिः**—जहां राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः**—इन नियमों में राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**डिस्पैच राइडर**
2.	**पदों की संख्या**	:	01*(2024) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर –2 (रुपये 19900–63200)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये ऊपरी आयु–सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीपः**– आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि समक्ष प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हैं, तो आयु सीमा 18–27 वर्श के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य** :– 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिकुलेशन अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अथवा समकक्ष उत्तीर्ण। 2. मोटर साईकिल अथवा ऑटोरिक्शा हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। 3. मोटर साईकिल चालक का दो वर्शो का अनुभव। 4. मोटर साईकिल अथवा ऑटोरिक्शा तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)। 5. अंग्रेजी अथवा हिन्दी पढ़ने में सक्षम। **टीप 2**:– यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं

9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रतिनियुक्ति अथवा पुनः रोजगार
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।**	:	**प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलनः** कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां में नियमित मल्टी टास्किंग स्टाफ समूह 'ग' में से जिसके न होने पर राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्य विभाग के नियमित डिस्पैच राइडर अथवा समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो कॉलम (7) में निर्धारित योग्यता तथा अनुभव रखते हों। **भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रतिनियुक्ति अथवा पुनः रोजगारः** सभास्त्र बल कार्मिक जो एक वर्श की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने हैं अथवा जिन्हें रिजर्व में स्थानान्तरित किया जाना है तथा निर्धारित अपेक्षित अनुभव एवं योग्यताएं रखते हों पर भी विचार किया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति की भार्ते उस तिथि तक दी जायेंगी जिस तिथि तक उन्हें सशस्त्र बलों से मुक्त किय जाना है उसके पश्चात् उन्हें पुनः रोजगार पर जारी रखा जा सकता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी)।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) (i) प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) – **अध्यक्ष** (ii) संबंधित विभागाध्यक्ष– **सदस्य** (iii) उप–सचिव (श0वि0) – **सदस्य** **टीप** :– यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिश्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिश्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रदीप कुमार, उप–पंजीयक (सहकारी)

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 19th July, 2024

F. No. 5/6/2023/ Misc./Estt./Coop./RR/ 929.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Min (H) dated the 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make following recruitment rules for the post of **DESPATCH RIDER** in the Registrar Cooperative Societies Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. Short title and commencement–(i) These rules may be called the Department of Registrar Cooperative Societies, Despatch Rider Recruitment Rules, 2024.

(ii) They shall come into effect on the date of their publication in the Official Gazette of Delhi.

2. Number of post, classification and pay level in the Pay Matrix-The number of said posts, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) to the schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualification etc.-The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be specified in columns number (5) to (13) of the said Schedule annexed to these Rules..

4. Disqualifications-No Person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.-Where the Government of National Territory is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the post	Despatch Rider
2.	Number of Posts	01* (2024) *Subject to variation Dependent on workload
3.	Classification	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	LEVEL- 2 (Rs. 19900- 63200) in the Pay Matrix
5.	Whether selection or non-selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruits	Between 18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note-** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.
7.	Educational and other qualification required for Direct Recruits	**Essential:-** 1. Matriculation or Industrial Training Institutes or equivalent pass from a recognized Institute or Board. 2. Possession of valid driving license for MotorCycle or Autorickshaw. 3. Two years' experience in driving Motor Cycle. 4. Knowledge of Motor Cycle or Autorickshaw mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle). 5. Ability to read English and Hindi. **Note :** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of	Not Applicable

	promotees	
9.	Period of probation, if any	Two Years
10	(Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion…)	By deputation or absorption failing which by direct recruitment For Ex- servicemen Deputation or re-employment
11.	In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption,…)	**Deputation or Absorption:** From amongst the regular Multi Tasking Staff, Group C in the Office of Registrar Cooperative Societies, failing which from Regular Despatch Rider or Group C employees in from other Department of the Govt. of NCT of Delhi who possess the qualification and experience prescribed in Column (7). For Ex-servicemen **Deputation or re-employment:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment: (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):** 1. Principal Secretary/Secretary (PWD) **- Chairperson** 2. Head of Department Concerned **- Member** 3. Dy. Secretary (UD) **- Member** **Note:** Senior most member of the DPC for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor

of National Capital Territory of Delhi,

PRADEEP KUMAR, Dy. Registrar (Cooperative)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA